न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2020 (उदयपुर डिक्री)

संदीप शर्मा पिता श्री हीरालाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल पिता स्वर्गीय देवराम शर्मा, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. योगेश्वर पिता स्वर्गीय देवराम शर्मा, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. दुर्गाशंकर पिता स्वर्गीय देवराम शर्मा, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक)
4. श्रीमती चमनी बाई पत्नी स्वर्गीय देवराम शर्मा, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक)
5. जमना शंकर उर्फ रामलाल पिता सौराम शर्मा, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 11.02.2020 प्रकरण संख्या 99/2018

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे0 सं0 1, 2

———::———

निर्णय — दिनांक 04–07–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं खातेदारी आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 1081, 1083, 1084, 1074 कुल किता 4 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि ग्राम एकलिंगपुरा में स्थित है। उक्त आराजी के साबिक नंबर 473 व 474 थे। आराजी नंबर 1074 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी नंबर 1073 में आराजी नंबर 1074 का जुज हिस्सा 150 एयर भूमि को मिलाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] ने अतिक्रमण कर मकान बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

लिया है, जो वादी को प्रदान किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वाद वर्णित आराजियात के संबंध में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जो वादी के विक्रेता द्वारा किया हुआ है। उक्त वाद पूर्व से विचाराधीन होने से नया वाद लाने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को जलील व परेशान करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–02–2020 से उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–03–2020 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की मृत्यु हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय मनमाफिक ढंग से अपीलान्ट का वाद बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कर दिया, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को मेरिट पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के आधारहीन कथनों के आधार पर प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए [illegible] रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4 5 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अपीलान्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

उनकी नामकायमी का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण अपील अबेट हो जाने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रथमतः तो प्रकरण में यह स्पष्ट स्थिति है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 5 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अपीलान्ट द्वारा उनकी नामकायमी हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलान्ट की अपील अबेट हो जाने से मात्र इसी आधार पर भी खारिज योग्य है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्हीं आराजियात बाबत् पूर्व में कब्जेयाबी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 37/2014 जो रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 5 जमना शंकर उर्फ रामलाल द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, विचाराधीन होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हीं आराजियात बाबत् वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नया दावा मेन्टेनेबल नहीं होना मानते हुए प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अबेट हो जाने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 11–02–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** .....

संदीप शर्मा पिता श्री हीरालाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **प्रभूलाल पिता स्व. देवराम शर्मा, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**34 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....14**.....माह.....**11**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**04**....माह.....**07**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अजयसिंह हाडा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अबेट हो जाने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 11–02–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**04**.....माह.....**07**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested